201

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ. सी. 3-39 /84/3/1 भोपाल, दिनांक 21-दिसंबर, 84

प्रति,

शासन के समस्त विभाग ।

विषय:- पदोन्नति, स्थायीकरण एवं अर्द्ध स्थायीकरण के प्रकरणों का समय-सीमा में निपटारा ।

शासकीय कर्मचारियों की समस्याओं एवं कठिनाईयों के संबंध में विचार कर सिफारिश करने के लिए राज्य शासन द्वारा डा० टुमनलाल, मंत्री, : पशुधन, मछली पालन एवं डेयरी : की अध्यक्षता में एक मंत्रि-परिषद उप-समिति गठित की गई थी । इस उप-समिति द्वारा कई सिफारिशें की गई हैं, जिनमें उपरोक्त विषय से संबंधित सिफारिश निम्नानुसार है :-

"पदोन्नति, स्थायीकरण एवं अर्द्ध स्थायी घोषित करने के संबंध में विभागों को निर्देश दिये जायें कि वे एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कार्यवाही पूर्ण करें" ।

2/ राज्य शासन द्वारा मंत्रि-परिषद उप समिति की उक्त सिफारिश को मान्य किया गया है । अत: आपसे निवेदन है कि आपके विभाग के अधीन समस्त सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के पदोन्नति, स्थायीकरण एवं अर्द्ध-स्थायी घोषित किए जाने से संबंधित प्रकरण नियमानुसार एक समय-सीमा निर्धारित कर, जो छ:ह माह से अधिक न हो, निराकृत किये जायें । आपके द्वारा जो समय-सीमा निर्धारित की जाय एवं इस संबंध में जो प्रगति हो उसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को भी कृपया दी जाय ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

K. N. Shrivastava

(के०एन० श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमश: